

82



कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के सील हेतु आदेश)

पत्राक:- 1443 / वाद संख्या आर-597/एस-1/2022

दिनांक-18-09-2024

श्री राज कुमार,
माता मन्दिर रोड, अनिल नर्सरी गली,
देहरादून।

आपके द्वारा उक्त स्थल पर भूतल एवं प्रथमतल पर लगभग 25 फीट क्षेत्रफल में भवन निर्माण करने के कारण उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत नोटिस निर्गत करते हुए वाद सं0- आर-597/एस-1/2022 योजित किया गया। प्रश्नगत निर्माण का मानचित्र स्वीकृत करने के लिए पूर्व में आपके द्वारा समय मांगा गया। परन्तु आपके द्वारा अपने निर्माण को शमन नहीं कराया गया। दिनांक 10.07.2023, 11.12.2023, 01.07.2024 एवं 27.08.2024 की सुनवाई का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। परन्तु आप उपस्थित नहीं हुए और न ही स्वीकृति के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। दिनांक 11.09.2024 को आप स्वयं उपस्थित हुए परन्तु निर्माण के सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकनोपरान्त जारी अवैध निर्माण/विकास कार्य पर अंकुश लगाने हेतु चालानशुद्धा निर्माण के सीलिंग के आदेश पारित करने का विकल्प ही शेष रह जाता है।

(Signature)



आदेश

विपक्षी श्री राज कुमार, माता मन्दिर रोड, अनिल नर्सरी गली, देहरादून द्वारा उक्त स्थल पर भूतल एवं प्रथमतल पर लगभग 25 फीट क्षेत्रफल में भवन निर्माण करने के कारण उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत नोटिस निर्गत करते हुए वाद सं०- आर-597/एस-1/2022 योजित किया गया। प्रश्नगत निर्माण का मानचित्र स्वीकृत करने के लिए पूर्व में विपक्षी द्वारा समय मांगा गया। परन्तु आतिथि तक भी अपने निर्माण को शमन नहीं कराया गया। दिनांक 10.07.2023, 11.12.2023, 01.07.2024 एवं 27.08.2024 की सुनवाई का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। परन्तु आप उपस्थित नहीं हुए और न ही स्वीकृति के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। दिनांक 11.09.2024 को विपक्षी स्वयं उपस्थित हुए परन्तु निर्माण के सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में निर्माण पर अकुश लगाया जाना आवश्यक हो गया है। तदनुसार चालान शुद्ध अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध सुसंगत धारा 28 (क) के अधीन सीलिंग के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अनाधिकृत निर्माण को प्राधिकरण द्वारा दिनांक **28.9.24** को सील किया जाना है।

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दें तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एक तरफा सम्पादित हो, विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न होने दें। क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के समान है जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय।

अधिशायी अभियन्ता/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि- 1-जिलाधिकारी महोदय देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि उक्त स्थल को उक्त कार्य शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की कृपा करें।

2-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि निर्माण को सील करने की कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
करें।

3- सम्बन्धित थानाध्यक्ष, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4-सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि वह निर्धारित तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को सील करने की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

5-नाजिर को इस निर्देश के साथ कि उक्त दिनांक को सील से सम्बन्धित समस्त सामग्री को उलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अधिशायी अभियन्ता/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।